न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सोहनसिंह बनाम गोपाल वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 322/2025 (अजमेर)

निर्णय 14/7/25

	श्री लक्ष्मण कंवरिया	
01.07.2025	सोहनसिंह बनाम गोपाल वगैरह (2025/322) यह अपील श्री लक्ष्मण कंवरिया एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2023 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 14.07.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
14.07.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 01.07.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। अतः **प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वाद एवं वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया , जिसे अपीलांट/प्रार्थी को दिनांक 26.12.2023 को सुना जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। आदेशिका दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 एवं 05 के नोटिस होना अंकित है। विगत लगभग 2 वर्षो से प्रार्थना पत्र में तलबी होना शेष है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के निरस्तारण करने में हुई अनियमितता को दर्शाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निरस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को विना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

RAA

निरन्तर....

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

सोहनसिंह बनाम गोपाल वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 322/2025 (अजमेर)

लगातार...

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे प्रकरण में शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी पूर्ण कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष शेष रेस्पोडेन्ट्स के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner